आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	वाद सं. 50/25 (भा. ना. सु. सं. 163) **आदेश**	
30/5/25	थाना प्रभारी बिरनी के प्रतिवेदन के आलोक में अधोहस्ताक्षरी के स्थानीय अधिकारिता क्षेत्र में विद्यमान विवाद के मद्देनजर लोक-परिशांति भंग होने की प्रबल संभावना को देखते हुए निम्न-लिखित विवरण वाले विवादग्रस्त भूमि पर भा. ना. सु. सं. की धारा 163 के तहत दिनांक 11/04/25 की प्रभावी तिथि से निषेधाज्ञा प्रवृत्त किया गया तथा विवाद में सम्मिलित उभय पक्ष को उक्त वादग्रस्त भूमि पर जाने अथवा कोई कार्य किए जाने से प्रतिबंधित किया गया- मौजा : मरकोडीह, थाना-बिरनी खाता : 22/50, प्लॉट : 573 रकबा : 60 डी० नोटिस निर्गत कर उभय पक्ष से कारण पृच्छा की गई। उभय पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपना-अपना पक्ष रखा। उभय पक्ष के द्वारा लिखित कारण पृच्छा भी दाखिल किया गया। जारी—	

क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	प्रथम पक्ष जागेश्वर साव का कहना है वादग्रस्त भूमि उनके पूर्वज को हुकुमनामा के जरिए प्राप्त हुआ तथा उक्त भूमि की जमाबन्दी कायम करवा कर वे दाखलकार चले आते हैं। द्वितीय पक्ष का कहना है कि उक्त वादग्रस्त भूमि गैर मजरुआ खास खाते की भूमि है तथा किस्म परती कदीम है। द्वितीय पक्ष का आगे कहना है कि उनके पूर्वज को अलग-अलग बिहार भूदान यज्ञ कमिटी के पट्टा द्वारा उक्त भूमि दाखिल है तथा उक्त भूमि की जमाबन्दी भी अंचल कार्यालय के मांग पंजी-II में कायम है। द्वितीय पक्ष आगे कहते हैं कि उक्त भूमि को लेकर स्वत्व वाद (Title Suit) 77/2016 माननीय न्यायालय गिरिडीह में लंबित है। उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत कागज पत्रों का अध्ययन करने	

जारी

श की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के दलीलों को सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि उभय पक्ष के मध्य वादग्रस्त भूमि को लेकर उत्पन्न विवाद हक-हकीयत (Title) से संबंधित है। चूँकि इन्हीं पक्षकारों के मध्य इसी वादग्रस्त भूमि के Title, Possession इत्यादि के अधिनिर्णयन हेतु सक्षम न्यायालय में Appropriate suit दाखिल है अतः उक्त वाद में निर्णय आने तक उभय पक्ष को शांति बनाए रखना चाहिए। साथ ही चूँकि स्वत्व (Title) संबंधी विषय अधोहस्ताक्षरी के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं तथा मामला Sub-judice भी है अतः उपरोक्त वाद में किसी पक्ष के हित में या विरुद्ध कोई अंतिम आदेश पारित करना न्यायोचित नहीं है। जारी	

की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

अतः प्रस्तुत वाद की कार्यवाही बिना कोई अंतिम आदेश पारित किए समाप्त घोषित की जाती है। माननीय व्यवहार न्यायालय से अंतिम निर्णय आने तक उभय पक्ष शांति बनाए रखेंगे।

लेखापित एवं संशोधित

30/5/25
SDM Bagodar
Sariya

30/5/25
SDM
Bagodar
Sariya.

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.06.09 11:48:23 +05:30
Location: 192.168.1.9